

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा

जिला - झालावाड़ (राज.)

गजेश

बनाम

तेज सिंह

किस्म मुकदमा

प्राठ पत्र

नं.

37

सन

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
05/03/2025	<p>पत्रावली पेशा हुई। कमील कम्प्लेंट उपरिखत। प्रार्थी/प्रति 1 के प्राठ पत्र OS R7 CPC R.W.S 151 of the CPC पर वहेस सुनी गई। कमील प्रार्थी द्वारा वहेस प्राठ पत्र के दौरान कथन किया कि प्रकरण एड 74/2016 कबान गजेश बनाम तेजसिंह में मे प्रति क्रम 1 निपासित रूप से प्रत्येक तारीख पेशी पर उपरिखत होता रहा था लेकिन प्रार्थी के नमसीकी रिशेडर की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी दिनांक 24/01/2019 को निपत तारीख पेशी पर उपरिखत नहीं हो पाया था। जैसे ही प्रार्थी को कम्प्लेंट उपरिखती की जानकारी हुई थी, प्रार्थी बिना कोई विलम्ब किये Next hearing date 28/3/2019 को ममानुष में उपरिखत ठीकर प्राठ पत्र OS R7 CPC पेशा कर दिया था। प्रश्न: प्रकरण में प्रार्थी के कारण के लीकार प्रार्थी को कम्प्लेंट रखने का मांग प्रदान कर प्रकरण को गुणावृत्त पर निपासित किया जावे।</p> <p>2. कमील प्रार्थी/प्रति/वादी/वादी द्वारा कथन किया कि (रिजली वहेस) प्रार्थी द्वारा इजाजत रिशेडर की मृत्यु का कोई लाकम पेशा नहीं किया</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p> शीर्षक या डी डेरीसफ का प्रथम पत्र पेश किया है कि: (1) पर खारिज प्रमाणों को। 9. जमाना प्रश्न की वृद्धि में धारिपक्ष में प्रमाणों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पूर्व में court की उपस्थित हुआ लेकिन निम्न तारीख पेशी 15/07/ 2019 को अनुपस्थित रहने पर खारिज हो। प्रार्थी के विरुद्ध ex-parte order जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा next hearing date 28/3/2019 को प्रार्थी ex-parte order को set-aside करने हेतु यह प्रार्थना पेश किया जिसमें कोई delay नहीं है। प्रार्थी एक प्रमाण पत्र मिलान है जिसका मिली-भंगी रिजर्वर की मूल्य है absent रहना चाहिए है लेकिन प्रमाण मूल्य प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। प्रमाणों के ex-parte order को प्रतीक्षित की तारीख में जितना मा/भा तक अवकाश की प्रार्थना नहीं हुआ है। प्रमाणों तारीख/अवकाश की stage पर पेशी है। It is well settled law position है कि प्रमाणों प्रमाणों का निरस्तारण merit पर किया जाना चाहिए, ना कि technical grounds पर। कि: प्रार्थी द्वारा पेशा cause के कारण प्रार्थी मा/भा पर OSR-CPC को प्रमाण पत्र पेशा है। प्रार्थी के विरुद्ध जारी ex-parte order dated 24/1/2019 को set-aside किया जाता है। प्रमाणों प्रमाण प्रमाणों के कारण प्रमाणों के प्रमाण प्रमाणों के साथ मिलान है। </p>	



[Signature]
 उपजुष्टी